कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
छठवीं मंजिल सतपुड़ा भवन, भोपाल

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन मध्यप्रदेश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु अधिष्ठाता (Dean) के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 224/स्था./राज./संचिशि/2024 दि. 6-2-2024	विभागीय वेबसाईट पर https://mpmedicaleducation.com दिनांक 29.02.2024 सायं 5.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन मध्यप्रदेश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु अधिष्ठाता (Dean) के पद पर नियुक्ति साक्षात्कार के माध्यम से करने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

1. अधिष्ठाता के पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से करने हेतु पदों का प्रवर्गवार विवरण :–

अधिष्ठाता पद-18

वेतनमान 1,44,200/– सातवें वेतनमान में लेवल 14

क्रमांक	पदनाम	अधिष्ठाता के वर्गवार पदों की संख्या			कुल पदों की संख्या
		UR	ST	SC	
1.	अधिष्ठाता	12	3	3	18

2. उपरोक्त पद के लिए विवरण निम्नानुसार है :–

(अ) अनिवार्य अर्हतायें :–

पद	अर्हता
अधिष्ठाता (Dean)	(i) मान्यता प्राप्त संस्थान से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री। (ii) चिकित्सा कॉलेज/संस्थान में प्रोफेसेर/एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो, जिसमें से कम से कम 05 वर्ष का अनुभव विभाग में प्रोफेसर के रूप में हो।

नोट :–

1. इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) के प्रचलित मापदण्डों के अनुसार समय–समय पर निर्धारित अर्जित अर्हता अनिवार्य।

(ब) मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि का स्थायी पंजीयन अथवा अन्य किसी राज्य में पंजीयन होने पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में पंजीयन अनिवार्य ।

(स) **विशेष** :–

(i) उक्त अर्हताएं विज्ञापन जारी दिनांक तक अनिवार्य होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक को पद हेतु अपात्र माना जायेगा।

(ii) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ–पत्र आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ–पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना भी अनिवार्य है।

(द) **टीप** :–

(i) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

3. **आयु सीमा** :– **01.1.2024** को **65 वर्ष** की आयु पूर्ण **न** की हो।

4. **आवेदन–पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश** :–

(i) विभागीय वेबसाईट पर दिनांक 29/02/2024 सायं 5.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाएंगे।

(ii) विलंब से प्राप्त आवेदन–पत्र एवं ऑफलाइन आवेदन पत्र मान्य नही होंगे।

(iii) आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन–पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, छठवीं मंजिल सतपुड़ा भवन, भोपाल के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

5. **ऑनलाईन आवेदन शुल्क** :–

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
निःशुल्क	निःशुल्क

6. **अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण–पत्रों को स्वप्रमाणीत कर ऑनलाइन अनिवार्य रूप से अपलोड़ करें** :–

(i) **आयु संबंधी प्रमाण के लिए** :– केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंक–सूची/प्रमाण–पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

(ii) **शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण–पत्र** :– हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां एवं उपाधियाँ स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(iii) **संविदा सेवा के अनुभव प्रमाण–पत्र** :– यह प्रमाण–पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण–पत्र में धारित पद तथा अनुभव अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

(iv) **शोध पत्र** :– समस्त रिसर्च पब्लिकेशन/स्वरचित पुस्तक अध्याय की स्व–प्रमाणित छायाप्रति।

(v) अन्य कार्य अनुभव यदि हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।

(vi) **अनापत्ति प्रमाण–पत्र** :– स्वशासी संस्था/निजी चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सा शिक्षकों को नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

7. **निरर्हतायें** :–

(अ) विकृत होने की स्थिति में।

(ब) दुश्चरित्र होने पर।

(स) शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता है।

(द) कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।

(इ) **कदाचरण संबंधी** :– किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो। चयन/नियुक्ति पश्चात् उक्त बात संज्ञान में आती है तो संबंधित का चयन सूची में उल्लेखित नाम तत्काल विलोपित होगा। इसी प्रकार, यदि नियुक्ति आदेश जारी हो गया हो तो उसे भी यथाशीघ्र निरस्त करते हुये अभ्यार्थी के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी।

8. यदि उम्मीदवार पहले से शासकीय सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त हो, जिसके आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि संचालनालय चिकित्सा शिक्षा को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा/साक्षात्कार

में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकेगी।

यात्रा व्यय का भुगतान :–

साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का कोई यात्रा व्यय/भत्ता देय नहीं होगा।

9. **अधिवार्षिकी आयु** :– 65 वर्ष

10. **चयन प्रक्रिया** :– चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। छानबीन समिति की अनुशंसा पर योग्य अर्हताधारी अभ्यार्थियों को प्रोरेटा अंकों के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों एवं प्रोराटा अंकों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी।

टीप :–

(अ) साक्षात्कार हेतु **Shortlisted** अभ्यर्थियों की सूची संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा प्रेषित पत्रों के माध्यम से उम्मीदवार की ई–मेल आई.डी. पर/विभाग की वेबसाईट **https://medicaleducation.mp.gov.in/** पर उपलब्ध रहेगी।

(ब) चयन प्रक्रिया/प्रकाशित विज्ञप्ति में यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो सक्षम प्राधिकारी को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

11. **विज्ञापन के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश** :–

(अ) विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं एवं साक्षात्कार के परिणाम केवल विभाग की वेबसाईट **https://medicaleducation.mp.gov.in/** में प्रकाशित किए जाएंगे। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाईन आवेदन–पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई–मेल पते तथा मोबाईल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा विभाग की वेबसाईट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

(ब) विस्तृत जानकारी हेतु निम्न वेबसाईट देखे :–

आवेदन–पत्र भरने हेतु अन्य निर्देश/जानकारी/विभागीय भर्ती नियम विभागीय वेबसाईट **https://medicaleducation.mp.gov.in/** पर उपलब्ध रहेंगे।

12. **<u>अन्य आवश्यक निर्देश</u>** :–

(अ) समस्त नियुक्तियॉ शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/निर्णयो के अधीन रहेगी एवं किन्ही भी कारणो से किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन अयोग्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा। निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी किसी भी प्रकार से नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेंगे।

(ब) किसी भी विसंगति की स्थिति में चयन समिति का निर्णय अंतिम माना जायेगा।

13. **<u>आवेदन की अंतिम तिथि</u>** :– दिनांक 29.02.2024 सायं 5.00 बजे तक ही ऑनलाईन आवेदन–पत्र ही मान्य होंगे।

अपर **आयुक्त चिकित्सा शिक्षा**
मध्यप्रदेश